

285

(Authoritative English text of this Department Notification
No. 1-4/83-STV-Vol.II, dated _____ as required under
Article 348(3) of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Technical Education,
Vocational & Industrial Training.

No. 1-4/83-STV-Vol.II, dated Shimla-171002, the 11-6-91

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Deputy Director (Trg.) (Class.I Gazetted) in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh, as per Annexure-A attached to this notification; namely:-

1. short title and commencement. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational and Industrial Training Department, Deputy Director (Trg) (Class.I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1991.
- (2) These shall come into force with immediate effect.

2. Repeal and Savings:

The Recruitment and Promotion Rules for the post of Deputy Director (Trg.) notified vide Labour and Employment Notification No. 2-26/74-SI(Estt.) dated 1.12.1976, are hereby repealed.

Provided that such repeal shall not affect the previous operation of the said Rules or any thing or any action taken thereunder.

By order


Commissioner-cum-Secretary (Tech.Edu) to the Government of Himachal Pradesh,

No. 1-4/83-STV-Vol-II, dated Shimla-171002, the 11-6-91

Copy forwarded to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2.
3. Director of Technical Education, Vocational & Industrial Training, H.P. Sundernagar, Distt. Mandi.
4. The Director of Labour & Employment, H.P. Shimla-2.
5. Controller, Printing and Stationery, H.P. Shimla for publication in the newspaper (Extra-ordinary).
6. Deputy Legal Remembrancer to the Government of H.P. Shimla-2.
7. 50 spare copies.

K.S. Narang
(K.S. Narang)
Joint Secretary (TE) to the
Government of Himachal Pradesh.



ANNEXURE A

Recruitment and Promotion Rules for the post of Deputy Director (Trg.) in the Department of Technical Education in the H.P. Government.

1. Name of the Posts	Deputy Director (Trg.)
2. Number of post :	1 (one)
3. Classification :	Class-I (Gazetted)
4. Scale of pay :	Rs. 3000.-+500
5. Whether selection or non-selection post :	Selection
6. Age for direct recruitment	45 years and below

Provided that the upper age limit for direct recruitment will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis &nd become coverage of the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special order of the Himachal Pradesh Govt;

Provided further that the employees of all the public sector corporations and autonomous bodies who happened to be Govt. servants before absorption in the Public Sector Corporation/Autonomous bodies at the time of initial constitution of such Corporation/Autonomous bodies, shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Govt. servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous bodies and are/were finally absorbed in the Service of such Corporations/Autonomous bodies after initial Constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous bodies.

Note:-1 Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

Note:-2 Age and experience in the case of direct recruitment are relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case of the candidate is otherwise well qualified.

287
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment.

- 2 -
ESSENTIAL:

Bachelor's Degree in Mechanical/Electrical/Production/Automobile/Electronics Engineering from a recognised University/Institution or equivalent with at least 5 years experience in an Industrial concern of repute and/or training Institute.

OR

Three years Diploma in Mech./Electrical/Production/Automobile/Electronics Engg. from a recognised State Board of Tech. Education or equivalent with at least 10 years experience in an Industrial concern of repute and/or training Institute.

Desirable Qualifications:

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the pradesh.

8. Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees,

Age: No

E.W. Yes

9. Period of probation if any

Two years subject to such further extension for a period of not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.

100% by promotion failing which by direct recruitment.

11. In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.

By promotion from amongst Assistant Director (Trg.)/Principal, I.T.I./Principal, I.T.I. for women/Principal, I.T.I. for physically handicapped with at least 10 years regular service or regular combined with adhoc service (rendered upto 31.3.91) if any in the respective grade, (For

- 3 -

the purpose of promotion a combined seniority list of all the eligible officer will be prepared on the basis of length of service in the respective grades without disturbing their inter-se-seniority,

i) In all cases of promotion, the ad-hoc service rendered in the feeder post upto 31-3-1991, if any, prior to regular appointment, to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promoting subject to the condition:-

(a) That in all cases where a Junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on ad-hoc basis upto 31-3-1991) in the feeder post in view of the Provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the Junior person in the field of consideration.

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post whichever is less:-

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) Junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:-

The last proviso shall not render the Junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-serviceman recruited under the provisions of Rule -3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh technical services) Rule, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(b) Similarly, in all cases of confirmation, ad-hoc service rendered on the Feeder post upto 31-3-1991, if any prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account ad-hoc service rendered upto 31-3-1991 shall remain unchanged.

Note:-2. Provision of Rules 10 & 11 are to be revised by the Government, in consultation with the Commission as and when the number of posts under Rule 2 are increased.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition? To be presided by the Chairman, H.P. Public Service Commission or a Member thereto, to be nominated by him.

- 4 -

As required under the Law.

13. Circumstances under which the H.P.P.C. is to be consulted in making recruitment;

14. Essential Requirement for a direct recruit:

(a) A citizen of India or

(b) A subject of Nepal or

(c) A subject of Bhutan or

(d) A Tibetan refugee who crossed over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India or

(e) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar), Malwa Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Govt. of India.

A candidate in whose case/ a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment :

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test and if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or a practical test, the standard syllabus etc. of which will be determined by the Commission/ other recruiting authority as the case may be.

16. Reservation:

The appointment to this service shall be subject to order regarding reservation in the service for Scheduled caste/Scheduled Tribes/ Backward Classes/other categories of persons issued by the H.P. Government from time to time.

- 5 -

17. Departmental Examination :

(1) Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1976 as amended from time to time, failing which he shall not be eligible to:-

- i) Cross the efficiency bar next due,
- ii) Confirmation in the service even after completion of probationary period and
- iii) Promotion to the next higher post.

Provided that an officer who has qualified the departmental examination in whole or in part prescribed under any rules before the notification of these rules, shall not be required to qualify the whole or in part, of the examination as the case may be;

Provided further that an officer for whom no departmental examination was prescribed prior to the notification of these rules and who has attained the age of 45 years on the 1st March, 1976 shall not be required to qualify the departmental examination prescribed under these rules.


Provided further that an officer for whom no departmental examination was prescribed prior to the notification of these rules and who had not attained the age of 45 years on 1.3.1976. shall not be required to qualify the departmental examination prescribed under these rules after attaining the age of 50 years for the purpose of (i) Crossing the efficiency for next due and (ii) Confirmation in the service after completion of probationary period,

(2) An officer on promotion to the higher post is his direct line of promotion shall not be required to pass the aforesaid examination if he has already passed the same in the lower gazetted post.

(3) The Government may in consultation with the H.P. Public Service Commission, grant in exceptional circumstances and for the reasons to be reduced to writing, examination in accordance with the Departmental Examination Rules, to any class or category of persons from the departmental examination in whole or in part provided the such officer is not likely to be considered for any other higher promotion before the date of his superannuation.

18. Power to relax:

Where the State Government is of the opinion that it is necessary for expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.



हिमाचल पृदेश सरकार
तकनीकी विद्या, व्यवसायिक रक्षा
आधारित प्रशिक्षण प्रबन्धन

संख्या । -4/83-सू. टी. वी. भाग-।।

तारीख 11-6-9/विमला-171002,

अधिकारी

- ### १. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

झू। झू इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी विद्या, व्यवसायिक सदस्य आवैद्योगिक प्रशिक्षण विभाग उपनिदेशक प्रशिक्षण झू कर्ना। राज्यपत्रित प्रपद झर्णी और प्रोन्नति नियम, 1991 है।

२. निरान स्तु वादतिर्णः अम

४२४ यह नियम तुरन्त प्रवृत्त होगे।
विभाग की अधिसूचना संख्या 2-26/74-स० आई० ईर्डरटी,
तारीख १०.१२.७६ द्वारा अधिसूचना उप निकेश (पुस्तिका)
के पद के अर्थ और प्रोन्नति नियम एवं द्वारा निरसित
किय जाते हैं।

परन्तु ऐसे निरत्तन से कथित नियमों के पूर्व प्रवर्तन या तद-
धीन की गई किसी बात या कार्रवाई पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ेगा ।

आदेश द्वारा

आयुक्त एवं सचिव रेतकनीकी प्रिक्षा
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: १-४/८३-एस.टी.वी. भाग-।। दिनांक
—किंविति संविधान संघ आवश्यक कार्यवाही देते प्रे

प्रतिलिपि सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हरु पाठ्य दः-
सामाजिक संघिव-हिमाचल पद्धा तरकार, शिमला-२

१. समस्त पैदानाक साधन। इनमें से पृष्ठा राजकारण।
 २. सचिव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा और्योग, शिमला-२
 ३. निदेशक तकनीकी शिक्षा व्यवस्था विधि एवं और्योगिक पुस्तिकाण हिमाचल प्रदेश, सुन्दरनगर शिमला-२
 ४. जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश
 ५. निदेशक श्रम आरोजार हिमाचल प्रदेश शिमला-२
 ६. नियन्त्रक महान् आरोजार लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश शिमला को इसे राजपत्र असाधारण में प्रकाशित करने के लिये।
 ७. उपर्युक्त प्रामाणी हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-२
 ८. 50 अतिरिक्त प्रतियों सहित।

२०२१।

2017.12.11.

(कै० ए० नारंग)

संयुक्त सचिव औतकनीकी द्विमाला-२
द्विमाला प्रदेश सरकार द्विमला-२

उपाबन्ध "अ"

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग, में उप निदेशक पुरिकार्यपद के भर्ती और प्रोनेन्टि नियम

१. पद का नाम
२. पदों की संख्या
३. खर्चकरण
४. वेतनमान
५. चयन पद अथवा अचयन पद
६. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु

उप निदेशक पुरिकार्यपद

१ लूरकू

कर्म-प्रारजस्त्रितृ

3000-4500

चयन

45 वर्ष या छहवीं कम।

एवन्ट्र सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा तदर्थ यां संविदा पर नियुक्त सहित, पहले ही सरकार की सेवा में रत अभ्यार्थियों को ताकू वहीं होगी परन्तु यह और कि एहति तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यार्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिकतम हो जाता हो तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण दिनांक आयु में शिक्षिकरण के लिये पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में उतना ही शिक्षिकरण किया जा सकेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुदेय है। परन्तु यह और कि प्रकाक सैक्टर नियमों तथा स्वायत नियमों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे प्रकाक सैक्टर नियमों तथा स्वायत नियमों में आगेल ते पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसीही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुदेय है किन्तु इस प्रकार की रियायत प्रकाक सैक्टर नियमों तथा स्वायत नियमों के लिये कर्मचारी वृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्तव्यतीर्ती रेसे नियमों/स्वायत नियमों द्वारा नियुक्त किये गये थे। किये गये है और उन प्रकाक सैक्टर नियमों/स्वायत नियमों के प्रारम्भ गठन के पश्चात्, ऐसे नियमों/स्वायत नियमों की सेवा में अन्तम स्वरूप लिङ्ग किये गये हैं। किये गये थे।

सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिन से की जाएगी, जिसमें आवेदन आमिन्टेशन करने के लिये यथा सूचित, पद कियापित या शिक्षालालयों को अधिसूचित किये जाते हैं।

अन्यथा सूचित अभ्यार्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा और अवृत्तार्द्दि आपोग के लिये कातुसार विधियों की जा सकती है।

टिप्पणी-।

टिप्पणी:-

विवरण:-

-3-

7. द्विवितीयों के द्विज जारी होने से
न्यूनतम् ईशानिक/अन्य
आहताये:-

द्विवितीयाति प्राप्त आधोगिक संस्थान और/या प्रशिक्षण
संस्थान में कम से कम 5 वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता
प्राप्त प्रशिक्षणविधालय /संस्था से घाँटिक /विद्युत/उत्पादन
/आटमबॉल/इलैक्ट्रोनिक्स/इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य ।

या

किसी द्विवितीयाति प्राप्त आधोगिक संस्थान और/या प्रशिक्षण
संस्थान में कम से कम 10 वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता
से प्राप्त राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से घाँटिक /विद्युत/
उत्पादन/आटमबॉल/इलैक्ट्रोनिक्स/इंजीनियरिंग में 3 वर्षों
का डिप्लोमा या इसके समतुल्य ।

नहीं

हाँ

8. सीधी भर्ती किये जाने वाले
व्यक्तियों के लिये वित्त डिल
आयु और शैक्षणिक आहताये
प्रोन्नति की द्वारा में लागू
होगी या नहीं ।

आधु

शैक्षणिक आहताये

9. परिवेश की अवधि यदि
कोई हो

अधिक

दो वर्ष जिसका एक वर्ष से रेती और अवधि के लिये प्रिस्टार
-र किया जाएगा तास्थाम प्राक्कारी विदेष परिवित्यात्यो
में और तिखित कारपौं से आदेश है ।

10. भर्ती की पद्धति सीधी होगी या प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती
या प्रतिशतियुक्त यास्थानान्त- द्वारा ।

-रण द्वारा और विभिन्न पद्धति-
-यों द्वारा भरी जाने वाली
रिप्रियां की प्रतिशतता ।

11. प्रोन्नति/प्रतिशतियां,
स्थानान्तरण की द्वारा में
क्रेपियां जिसमें प्रोन्नति/प्रति-
-नियुक्ति या स्थानान्तरण
किया जाएगा ।

तहायक । निदेशक प्रशिक्षण/आधोगिक प्रशिक्षण संस्थान के
प्रधानाधार्य व्यक्तियों के लिये आधोगिक प्रशिक्षण संस्थान
के प्रधानाधार्य /विकलांगों के लिये आधोगिक प्रशिक्षण संस्थान
के प्रधानाधार्य में से प्रोन्नति द्वारा जिनका अपने-अपने
गेड में नियमित या ३१०.३०.११ तक ही गई तार्थ्य सेवा
सहित, यदि कोई हो कम से कम 10 वर्ष का नियमित
तेवरकाल हो ।

प्रोन्नति के प्रयोजनों के लिये सभी पात्र अधिकारियों की
उनके अपने अपने गेड में सेवाकाल के आधार पर एक संयुक्त
वरिष्ठता सूची, उनकी परस्पर वरिष्ठता में पेर बदल किये
बिना तैयार की जाएगी ।

... 4/-

टिप्पणी:-

प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31.03.91 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में संधारित रेवा काल के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए ली जाएँगी:-

इकैउन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में आया हुव सेवाकाल 31.03.91 तक की यह तदर्थ सेवा को सम्बतित करके इकैआधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है। वहाँ उससे अपने-अपने पर्याप्त पद/काड़ि में वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जाएँगे। और विचार करके समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएँगे।

परन्तु उन सभी पदाधारियों की जिनमें प्रोन्नति के लिये विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष की व्याप्ति अडितारै सेवा का पद के भर्ती अर्थ, प्रोन्नति नियमों में विहित रेवा जो भी कम हो दोनी घासिर।

परन्तु घड आरै भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी विचार के लिये अपात्र हो जाता है वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी प्रोन्नति के विचार के लिये अपात्र समझा जाएगा।

स्थायीकरण:-

अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि ज्येष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिग्रीविनाइजड आर्ड फोर्सिज एसेन्टल ड्रिजर्वेशन आफ देकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नाँच टैक्नीकल सर्विसज रूलज, 1972 के नियम-३ के उपबन्धों के अधीन भर्ती किया गया हो और इसके अधीन खेड़ता का लाभ दिया गया हो या एक सर्विस भैन ड्रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज हन ती हिमाचल पुर्देश टैक्नीकल सर्विसिज रूलज, 1985 के नियम ३ के उपबन्धों के अधीन भर्ती किया गया हो तथा तदर्थीन ज्येष्ठता का लाभ दिया गया हो।

इकै

इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामले में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31.03.1991 तक सम्भरण पद पर की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवा काल के लिये जाएगी।

परन्तु 31.03.1991 तक तदर्थ सेवा को गमना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक ज्येष्ठता आविष्ट रहेगी।

टिप्पणी-2

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विचार हो तो उसकी संरचना।

-2-

जब कभी विकार के अन्तार पदों ने बढ़ोतारी अपात्र कमी होती है तो नेटवर्क १० और ११ के उपर्युक्त स्तरों का द्वारा लोक आयोग के परामर्श से पुनर्गठित किये जायेंगे। इसकी अवधिकार हिमाचल पुर्देश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके हारा नाम निर्दिष्ट स्थायी हारा की जाएगी।

१३. भर्ती करने में जिस परि- ५/- जैता कि विधि द्वारा अपेक्षित है।
-स्थिरतियों में हिमाचल प्रदेश
लोक सेवा आयोग ने परामर्श-
-किया जाएगा।
१४. सीधी भर्ती किये जाने किसी तेजा या पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी निम्नलिखित अक्षय होना चाहिए:-
१५. भारत का नामिक या
१६. नेपाल की पूजा, या
१७. भूटान की पूजा, या
१८. तिव्यति शरणार्थी जो कि एक जनवरी, १९६२ से पूर्व भारत में स्थाई निवास के आशय से प्रवास के लिये आया हो या
१९. भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका पूर्वी अफ्रीका, के देशों या कीनिया, मुगान्डा, मुनक्कर्हटिङ, रिपब्लिक ऑफ तर्जनिया पहले तंजानिया और इथोपिया से भारत में स्थाई निवास के आशय से प्रवास किया है।
परन्तु पूर्वा १६. १७. १८. आर्घ्य १९. और २०. के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पाक्त्रता प्रमाण पत्र जारी किया हो।
ऐसे अभ्यर्थी को जिनके मामले में पाक्त्रता का प्रमाण पत्र, आकाशक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षातकार में प्रवेश किया जा सकेगा किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसे पाक्त्रता का अपेक्षित प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा।
२१. सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिये चयन प्रौढ़िक परीक्षा के आधार पर और यदि यथात्यित लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा आकाशक या तमीचीन समझे, लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथा स्थिति, आयेगा/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जायेगा।
उक्त तेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित ज्ञ जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य पूर्वा के व्यक्ति के लिये तेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किये गये आदेशों के अधीन होगी।
२२. तेवा ने प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित, विभागीय परीक्षा, १९७६ में यथा विहृत विभागीय परीक्षा परस करनी होगी, वह निम्नलिखित के लिये पात्र नहीं होगा।
२३. आगामी द्वेष दक्षता रोधक पार करने के लिये।
२४. परिवीक्षा अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् भी स्थाईकरण के लिये और

परन्तु यह अटीटूड ऐसे अधिकारी से जिसके बिस उन नियमों के अधिकृति किये जाने से दृव्य कोई विशेष परीक्षा चिह्नित नहीं की गई थी और जिसने । मार्च 1976 को 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, उसमें हन नियमों पर आधिकृत विभिन्न परीक्षा इविभागीय प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

परन्तु यह और भी कि ऐसे अधिकारी ने जिसको लिए इन नियमों के अधिसूचित जिमि जाने से पूर्व कोई विभागीय परीक्षा विद्यि नहीं की गई थी और जितने। बार्च 1976 को 45 वर्ष की आयु प्राप्त नड़ी को धन उत्तरे 50 वर्ष की आयु के पश्चात नियमित प्रयोजन के लिये विभागीय परीक्षा पास करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

१। आगामी देय दस्ता रोध पार करने के लिये और
२। परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् स्थायीकरण के लिये।
किसी अधिकारी से अपनी प्रौद्योगिकी की संभिति पंक्ति में उच्चत-
र पद पर प्रौद्योगिकी पर विभागीय परीक्षा पास करने की
अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि उसने निम्नर राज्यकृत पद पर
ऐसी परीक्षा पहले ही पास कर ली हो।

उत्तरार्द्ध के लिये उत्तरार्द्ध के लिये विभाग अधिकारी पर उसकी अधिकृति की आवश्यकता होती है। इसके बाद उत्तरार्द्ध के लिये विभाग अधिकारी पर उसकी अधिकृति की आवश्यकता होती है।

... 7/-००

18. विधिल करने वी गवित

जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐता करना आवश्यक है, या समीचीन है तो यह कारणों को अभिलिखित करके और लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा इन नियमों में या इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को जिसी वर्ग या व्यक्तियों के द्वारा पढ़ों वी वावत विधिल कर सकेगी।

